

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या. 11/2019-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी, 2019

सा.का.नि. (अ)- सीमा शुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20 और 22 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2013-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 16 मई, 2013, जिसे संख्या सा.का.नि. 318(अ), दिनांक 16 मई, 2013 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गई अथवा न की गई बातों को छोड़ते हुए, करती है।

(फाइल संख्या 354/195/2013-टीआरयू(पार्ट II))

(डॉ श्रीपार्वती एस. एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार